दिनांक 13.8.19

आज दिनांक 13.8.2019 को अकादमिक काउंसिल की बैठक आहूत की गई। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे।

(1) डॉ. एस. एन. निराला — प्राचार्य
(2) डॉ. आर. एस. खेर — सदस्य प्राचार्य मनोनीत
(3) डॉ. एच. एल. होता — सदस्य वि.वि. प्रतिनिधि
4) डॉ. पूजा पांडेय — " — "
5) डॉ. किरण बाजपेयी — सदस्य
6) डॉ. डी. डी. कश्यप — "
7) डॉ. शुभदा रहालकर — "
8) डॉ. सुनीता दुबे — "
9) डॉ. स्नेहल मोघे — "
10 डॉ. ~~के.~~ प्रेमश्री पांडे — "
11. डॉ. शारदा दुबे — "
12. डॉ. रूबी मल्होत्रा — "
13 डॉ. सीमा मिश्रा "
14 डॉ प्रेमलता वर्मा "
15 डॉ. अर्चना अग्रवाल "
16 डॉ. अंजली शर्मा "
17 डॉ. मंजरी शर्मा "
18 डॉ. शिवानी गालप "
19 श्रीमती प्रतिमा बाजपेयी "
20 डॉ. सीमा पांडे "
21 डॉ. आशा कबीर "
22 डॉ. गीता सेठ " 13.8.19
23 डॉ. अंजू तिवारी " 13.8.19
24 डॉ. बी. के. सोनी "
25 डॉ. ए. पी. गोस्वामी प०नि० — " 13/8/19
26 डॉ ~~[illegible]~~ अखिलेश पांडे — "
27 डॉ. कावेरी दाभड़कर —
डॉ. मनीष दीवान

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 13/08/2019 में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव क्र.–01

स्नातक पाठयक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव–

माह जून–जुलाई 2019 में सम्पन्न बी.ए. / बी.एससी. / बी.कॉम./ बी.एससी. गृहविज्ञान / बी.सी.ए. भाग–एक/दो/तीन एवं डिप्लोमा पाठयक्रमों (डीसीए) के अध्ययन मंडलों की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया। अध्ययन मंडलों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, चतुर्थ, पंचम व शश्ठम वर्श हेतु सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रम अनुषंसित किए साथ ही आनर्स पाठयक्रम भी अनुषंसित किए गए। अध्ययन मंडलों द्वारा निर्धारित विभिन्न विशयों के हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अर्थषास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजषास्त्र, वनस्पति विज्ञान, रसायन षास्त्र, गणित, भौतिक षास्त्र, जन्तु विज्ञान, संगीत मनोविज्ञान संस्कृत और कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान एवं बी.सी.ए. के पाठयक्रम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : प्रस्ताव पूर्णमत से पारित व अनुमोदित

प्रस्ताव क्र. 02

स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव–

जून– जुलाई 2019 में सम्पन्न हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अर्थषास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजषास्त्र, वनस्पति विज्ञान, रसायन षास्त्र, गणित, भौतिक षास्त्र, जन्तु विज्ञान, मानव विकास, आहार व पोशण एवं वाणिज्य अध्ययन मंडलों की बैठकों में स्नातकोत्तर (प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर) , ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, डिप्लोमा पाठयक्रम (पी.जी.डी.सी.ए.) के पाठयक्रम बनाये गये। इन पाठयक्रमों को अनुमोदनार्थ प्रस्ताव विद्या परिशद की बैठक में प्रस्तुत।

निर्णय : प्रस्ताव पूर्णमत से पारित व अनुमोदित

प्रस्ताव क्र. 03

परीक्षा समिति, परीक्षा परिणाम समिति के सदस्यों के मनोनयन के अनुमोदन का प्रस्ताव–

स्वषासी कार्यप्रणाली के अंतर्गत सत्र 2019–20 हेतु विभिन्न विशयों के लिए परीक्षा समिति एवं परीक्षा परिणाम समिति का निर्धारण प्राचार्य की सहमति से, नियंत्रक, स्वषासी विभाग द्वारा किया गया है (संलग्न)। समिति के सदस्यों मनोनयन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया गया ।

प्रस्ताव क्र. 04

स्नातक पंचम सेमेस्टर में प्रवेष संबंधी प्रकरण पर घटनेत्तर स्वीकृति –

महाविद्यालय के छात्राओं से प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए तथा छात्रहित में सत्र 2019–20 में स्नातक पंचम सेमेस्टर में (2016–17 के सेमेस्टर प्रोन्नत नियम) निम्नानुसार प्रवेष दिया गया–

पंचम सेमेस्टर में प्रवेष हेतु अर्हताएं –

1. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में दो विशय में बेक
2. तृतीय सेमेस्टर में दो विशय से अधिक बेक न हो।
3. तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रुप से 04 से अधिक विशय में बेक न हो प्रवेष संबंधी प्रकरण घटनेत्तर स्वीकृति हेतु व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : अकादमिक काउंसिल में सभी सदस्यों ने 2016–17 में प्रवेशित छात्राओं के लिए ही यह प्रस्ताव पारित व अनुमोदित किया । सत्र् 2018–19 हेतु प्रवेशित छात्राओं के लिए 2018–19 कें प्रवेश विवरणिका में प्रकाशित व जी.बी. व ए.सी. द्वारा पारित प्रोन्नत नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्ताव क्र. 05

स्नातक व स्नातकोत्तर प्रष्नपत्र के प्रारूप में परिवर्तन पर चर्चा–

महाविद्यालय के स्वषासी परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य सभी सहायक नियंत्रक से विचार विमर्ष से ज्ञात हुआ कि महाविद्यालय द्वारा प्रष्नपत्र बाह्य परीक्षकों से सेट करवाये जाते है परंतु वर्तमान में जो प्रष्नपत्र का प्रारूप है उसके अनुसार प्रष्नपत्रों की सेटिंग करने से मना कर देते है अतः व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए पूर्व निर्मित स्नातक प्रष्नपत्र एवं स्नातकोत्तर प्रष्नपत्र के प्रारूप में परिवर्तन किया जाये अथवा नहीं इस पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय : सदस्यों में सहमति नहीं बनी।

प्रस्ताव क्र. 06

CHALLENGE VALUATION के नियमों में सुधार पर चर्चा–

महाविद्यालय में अकादमिक कौसिंल की बैठक 22/09/2016 में स्वीकृत चैंलेज मूल्यॉकन हेतु स्वीकृत नियमावली में आंषिक संषोधन किया जा रहा है जो निम्नानुसार है–

नियम 8:

उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति का महाविद्यालय के बाहर के किन्हीं दो विशय विषेशज्ञों (छ.ग. के विभिन्न वि.वि. द्वारा मान्य परीक्षक) से मूल्यांकन करा के इस आषय का प्रमाण पत्र मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर सहित परीक्षा विभाग में जमा करना होगा कि उसके प्राप्तांको में पूर्णांक के 10 प्रतिषत् से अधिक की वृध्दि हो रही है।

संषोधनः

उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति का महाविद्यालय के बाहर के किन्हीं दो विशय विषेशज्ञों (छ.ग. के विभिन्न वि.वि. द्वारा मान्य परीक्षक) से मूल्यांकन करा के इस आषय का प्रमाण पत्र मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर सहित परीक्षा विभाग में जमा करना होगा कि उसके प्राप्तांको में पूर्णांक के 5 प्रतिषत् से अधिक की वृध्दि हो रही है।

इसी परिपेक्ष्य में कंडिका 10 के अंतर्गत भी 10 प्रतिषत वृध्दि के स्थान पर 5 प्रतिषत की वृध्दि अधिक या कम रखी गई है। यह बिलासपुर विष्वविद्यालय एवं अन्य तीनों स्वषासी महाविद्यालय द्वारा लागू नियमों के अनुसार ही किया गया है।

निर्णय : सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित एवं अनुमोदित किया।